श्यामलाल महाविद्यालय (सांध्य)
दिल्ली विश्वविद्यालय

जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
(वेलकम मेट्रो स्टेशन के नजदीक)
दूरभाष: 22324883, फैक्स: 22324078
ई मेल: principal@shyamlale.du.ac.in बेवसाइट: www.shyamlale.du.ac.in

अनुक्रमणिका

	क्रम संख्या	पृष्ठ सं॰
1.	संकाय	2
2.	महाविद्यालय	4
3.	सामान्य सूचना	4
4.	पाठ्यक्रम और स्थानों की संख्या	6
5.	पंजीकरण/नामांकन की प्रक्रिया	6
6.	नामांकन दिशानिर्देश	7
7.	प्रवास/पूर्व छात्रों का पुनर्नामांकन	14
8.	शुल्क और अन्य देय	15
9.	सुविधाएँ और वैशिष्ट्य	17
10.	वित्तीय उपादान और सहायता	18
11.	छात्रवृत्तियाँ उपादान और पुरस्कार	19
12.	अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र और आचार-नियमावली	20
13.	छात्र-संघ	20
14.	लोक सूचना अधिकारी	21
15.	अपील-पदाधिकारी	21
16.	समितियाँ (2017-18)	22
17.	विश्वविद्यालय के राजपत्रित छुट्टियों की अनुसूची-2017	26
18.	नामांकन कार्यक्रम (2017-18)	पृष्ठ आवरण

डिस्क्लेमर

इस सूचना प्रपत्र की सामग्री की प्रामाणिकता की जाँच में सभी सावधानियाँ बरती गई हैं। तथापि, विश्वविद्यालय के नियमों, अधिनियमों, अध्यादेशों और विधियों में निहित सूचना अंतिम होगी। इस सूचना प्रपत्र में उपलब्ध विवरण मात्र निर्देशात्मक हैं और कानूनी उद्देश्य से उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

प्राचार्यः डॉ प्रवीण कुमार, एम. ए., एम. फिल. पी-एच॰ डी॰

संकाय

वाणिज्य विभाग

1. डॉ. आर. एल. गुप्ता
   एम. कॉम., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
2. श्री जे. के. बरेजा
   एम. कॉम., एम. फिल., एल. एल. बी., एफ. सी. एस.
3. डॉ. एस. पी. शर्मा
   एम. ए. (अर्थशास्त्र), पी. एच॰ डी॰
4. श्री पवन कुमार भूरा
   एम. कॉम.
5. डॉ. अशोक कुमार
   एम. कॉम., पी. एच॰ डी॰
6. डॉ. सुरेश कुमार
   एम. कॉम., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
7. श्री अनिल कुमार
   एम. कॉम., एम. फिल.
8. डॉ. ए. पी. त्रिपाठी
   एम. कॉम., पी. एच॰ डी॰
9. डॉ. मनु उमेश
   एम. कॉम., पी. एच॰ डी॰
10. श्री कमलेश अत्री (शिक्षक-प्रभारी)
    एम. कॉम., एम. फिल.
11. श्री राजेन्द्र कुमार
    एम. कॉम.

अर्थशास्त्र विभाग

1. सुश्री सुरभि बधवार
   एम. ए., एम. फिल.
2. डॉ. अमरेन्द्र कुमार सिंह (शिक्षक प्रभारी)
   एम. ए., पी. एच. डी.
3. श्री अनिल कुमार सिंह (अवकाश पर)
   एम. ए.
4. श्री नेहखोलेन हेवोकिप
   एम. ए.
5. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
   एम. ए., एम. फिल.
6. श्री अजय गुप्ता
   एम. ए., एम. फिल.
7. डॉ. स्तुति गुप्ता
   एम. ए., पी. एच॰ डी॰

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ. संदीप कुमार यादव
   एम. ए., पी. एच॰ डी॰
2. सुश्री गौरी सक्सेना
   एम. ए., एम. फिल.
3. डॉ. कुसुम देवी
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच. डी.
4. डॉ. प्रीति शुक्ला (शिक्षक प्रभारी)
   एम. ए., पी. एच॰ डी॰

कम्प्यूटर साइंस विभाग

1. सुश्री भारती कुमार (शिक्षक प्रभारी)
   एम. सी. ए., एम. फिल.
2. श्री राजीव रंजन सिंह (अवकाश पर)
   एम. सी. ए., एम. फिल.

हिन्दी विभाग

1. डॉ. हरीश खन्ना
   एम. ए., पी. एच॰ डी॰
2. डॉ. सुमित्रा
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
3. डॉ. रेणु गुप्ता
   एम. ए., पी. एच॰ डी॰
4. डॉ. अर्चना उपाध्याय
   एम. ए., पी. एच॰ डी॰
5. डॉ. अनिल कुमार राय
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
6. डॉ. सुनीता खुराना
   एम. ए., एम.फिल., पी. एच॰ डी॰
7. डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
8. डॉ. रीनू गुप्ता (शिक्षक प्रभारी
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
9. डॉ. दीपिका वर्मा
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
10. डॉ. सरिता
    एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
11. डॉ. सुनीता सक्सेना
    एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
12. डॉ. अमित सिंह
    एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
13. डॉ. रामरूप मीना
    एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰

इतिहास विभाग

1. डॉ. प्रमोद कुमार (शिक्षक प्रभारी)
   एम. ए., पी. एच॰ डी॰
2. डॉ. देव नारायण सिंह
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰

गणित विभाग

1. डॉ. विनोद कुमार त्यागी (शिक्षक प्रभारी)
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
2. डॉ. भारती (शिक्षक-प्रभारी)
   एम. ए., एम.फिल., पी. एच॰ डी॰

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. डॉ. एस. के. तनेजा (डी.पी.ई.)
एम. ए., एम. पी. एड. (एन. आई. एस.),
डी. वाय. एड., पी. एच॰ डी॰

राजनीतिविज्ञान विभाग

1. श्री अश्विनी जस्सल
   एम. ए., एम. फिल.
2. श्री कुमार प्रशांत (शिक्षक प्रभारी)
   एम. ए., एम. फिल.
3. डॉ. ऋतेश भारद्वाज
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
4. डॉ. रमेश कुमार
   एम. ए., एम. फिल., पी. एच॰ डी॰
5. डॉ. संध्या वर्मा
   एम. ए., पी. एच॰ डी॰
6. सुश्री इला भूषण
   एम. ए., एम. फिल.

प्रशासनिक कर्मचारी

1. श्री अश्विनी कुमार वर्मा
   एस. ओ. (लेखा) और ए.ओ. (कार्यकारी)
2. श्री धीरज बहल
   प्राचार्य के वरिष्ठ निजी सहायक
3. श्री दीपक कुमार, एस. ओ. (प्रशासन)

नोडल अधिकारी (धूमपान निषेध क्षेत्र) संपर्क पदाधिकारी (एस.सी./एस.टी.)

1. श्री कुमार प्रशांत

1. श्री राजेन्द्र कुमार

संपर्क पदाधिकारी (ओ.बी.सी.)

1. डॉ. संदीप कुमार यादव

लोक सूचना अधिकारी

1. श्री दीपक कुमार, एस. ओ. (प्रशासन)

महाविद्यालय

स्वर्गीय पद्मश्री श्यामलाल गुप्ता ने श्यामलाल चेरीटेबुल ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में 1964 में श्यामलाल महाविद्यालय की स्थापना की। भारत के तात्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वर्गीय डॉ. जाकिर हुसैन ने 24 मई 1964 को इस महाविद्यालय की आधारशिला रखी। सायं महाविद्यालय ने 8 सितम्बर 1969 से कार्य करना आरंभ किया। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्ण-विकसित महाविद्यालयों में से एक है जो पंदह सौ से अधिक विद्यार्थियों को वाणिज्य एवं मानविकी विषयों में ज्ञान प्रदान कर रहा है। महाविद्यालय अपनी अभिनव परियोजनाओं, विश्वविद्यालय पुष्प प्रदर्शनी, खेलकूद, इकोक्लब, एनसीसी, एनएसएस और गाँधी अध्ययन केंद्र जैसी विविध सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के कारण समाचारों में बना रहता है।

वर्तमान प्रतियोगी एवं तकनीक प्रेरित वैश्विक वातावरण में महाविद्यालय का लक्ष्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो उनमें रचनात्मकता उत्पन्न करे, अभिनवता को बढ़ावा दे और नैतिकता का विकास करे।

इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र सिविल सेवाओं, कॉरपोरेट, शिक्षण, रक्षा, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ दे रहे हैं। महाविद्यालय अच्छी आधार-संरचना, कम्प्यूटर लैब, डे केयर सेंटर, पी. डब्ल्यू. डी. कक्ष और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों तक इलेक्ट्रॉनिक पहुँच से युक्त अध्ययन कक्ष से भली-भाँति सुसज्जित है।

यह महाविद्यालय जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली में अपने स्वयं के एक विस्तृत भवन में स्थित है। यहाँ अनेक बस रूटों के अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है। आगंतुक दिल्ली मेट्रो की **रिठाला-दिलशाद गार्डन, रेड लाइन** के 'वेलकम' मेट्रो स्टेशन पर उतरकर यहाँ आ सकते हैं जहाँ से कॉलेज की दूरी बमुश्किल सौ गज है।

सामान्य सूचना

(i) विश्वविद्यालय ने शैक्षिणिक सत्र 2015-16 से सभी डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये च्वाइसड् बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आरंभ किया है।

(ii) मात्र अधिसूचित कट ऑफ सूची के अनुसार योग्य उम्मीदवारों का ही नामांकन होगा। विश्वविद्यालय नियमानुसार चार सर्वोत्तम विषयों के अंकों, एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ ऐच्छिक विषयों, की गणना की जाएगी।

(iii) नामांकन के लिए अपूर्णांकों को पूर्णांक में नहीं बदला जा सकता।

(iv) अंतर-विश्वविद्यालय या अंतर-महाविद्यालय प्रवास पर प्राचार्य के विवेक के आधार पर विचार किया जाएगा। प्रवास के लिए आवेदनों पर नियमित नामांकन के बाद ही विचार किया जाएगा और सिर्फ तभी जब विश्वविद्यालय के सारणी के अनुसार स्थान उपलब्ध हो। अंतर विश्वविद्यालय प्रवास के लिए विश्वविद्यालय से पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(v) खेल कोटा के अंतर्गत नामांकन फार्म केवल विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निर्गत एवं स्वीकार किए जाएंगे।

(vi) **महाविद्यालय कैजुअल (आकस्मिक) विद्यार्थियों को नामांकित नहीं करता।**

(vii) **उम्र सीमा**

विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए कोई न्यूनतम उम्र सीमा नहीं है। कुछ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नियामक संस्था न्यूनतम उम्र की आवश्यकता तय करती है (जैसे कि एम. सी. आई., ए. आई. सी. टी. ई. आदि।)

(viii) **अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी**

कुल स्थानों के 15% व 7.5% क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

एस. सी./एस. टी. के लिए आरक्षित स्थान केवल एस. सी./एस. टी. अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे। परन्तु योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर आरक्षित स्थान अनु. जा. और अनु. जन. के बीच बदले जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को अपने नाम का निम्नांकित सक्षम प्राधिकारों से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पिता के नाम का प्रमाण नहीं लिया जाएगा। ऐसे सारे प्रमाण पत्रों की जाँच सक्षम प्राधिकार करेगा और प्रमाण पत्र में कोई भी अनियिमितता पाये जाने पर विद्यार्थी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी के पास अपलोडिंग के समय एस.सी. या एस.टी. जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र न हो तो अभ्यर्थी एस.सी. या एस.टी. जाति/जनजाति प्रमाणपत्र हेतु किये गए आवेदन का पावती पत्र अपलोड कर सकता है। लेकिन नामांकन के समय अभ्यर्थी को वैध एस.सी. या एस.टी. जाति/जनजाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु निम्नांकित पदाधिकारी अधिकृत है–

(क) जिला दंडाधिकारी/अपर जिला दंडाधिकारी/उपायुक्त/समाहर्त्ता/अपर उपयुक्त/उप समाहर्त्ता/प्रथम श्रेणी का वैतनिक दंडाधिकारी/नगर दंडाधिकारी; प्रथम श्रेणी वैतनिक दंडाधिकारी से नीचे श्रेणी का नहीं/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

(ग) राजस्व पदाधिकारी जो तहसीलदार से न्यून न हो।

(घ) अनुमंडल पदाधिकारी, उस क्षेत्र का जहाँ अभ्यर्थी और अथवा उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

(ङ) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप समूह)

(ix) **अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी**

अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अर्हता परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए तय अर्हता में 10% की छूट दी जाएगी। उदाहरणस्वरूप यदि किसी पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए न्यूनतम अर्हता 50% है, तो वह 45% लिया जाएगा (यानी 50% से 10% कम)। वे सभी ओ. बी. सी. अभ्यर्थी जिन्हें अर्हता परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त हैं और प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक (यदि कोई हो) प्राप्त हैं तो वह नामांकन के लिए योग्यता क्रम के अनुसार योग्य होगा, लेकिन उनके लिए आरक्षित स्थान उपलब्धता के आधार पर। केवल वही ओ. बी. सी. अभ्यर्थी ओ. बी. सी. वर्ग के अधीन नामांकन के लिए विचारणीय होगे जो ''नॉन क्रीमी लेयर'' के होंगे और जिनकी जाति ओ. बी. सी. के केन्द्रीय सूची में है।

ओ.बी.सी. नॉन क्रीमी लेयर (केंद्रीय सूची) के लिये 27% स्थान आरक्षित होंगे। यदि अभ्यर्थी के पास वित्तीय वर्ष 2016-17 का ओ.बी.सी. नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र अपलोडिंग के समय नहीं हो तो वह पुराना ओ.बी.सी. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र/आवेदनपत्र का पावती पत्र अपलोड कर सकता है। लेकिन नामांकन के समय अभ्यर्थी को वित्तीय वर्ष 2016-17 का ओ.बी.सी. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित स्थान केवल ओ. बी. सी. अभ्यर्थियों से ही भरा जाएगा। किन्तु यदि योग्य ओ. बी. सी. अभ्यर्थी नहीं मिलते, तो आरक्षित स्थान नामांकन की अंतिम तिथि तक रिक्त रहेगा और अन्य योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(x) **शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी**

स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 3% स्थान शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी में योग्यता के आधार पर नामांकन पा लेते है, उन्हें 3% कोटा में नहीं गिना जाएगा। नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा तय नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर होता है। ऐसे अभ्यार्थियों को अपना पंजीकरण ''डेस्क फोर परसन्स बिथ डिसएबेलिटी (पी. डब्ल्यू. डी.)'' पर कराना चाहिए जो डीन, छात्र कल्याण, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के कार्यालय में स्थित है।

(xi) **सशस्त्र बल, विदेशी विद्यार्थियों, नेपाली/भूटानी विद्यार्थियों और सिक्किम के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण:**

1. अर्हत सशस्त्र बल/कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों/विधवाओं के लिये आरक्षित वर्ग के अंतर्गत नामांकन के लिये नामांकन प्रक्रिया केंद्रीय होगी और यह ज्वाइंट रजिस्ट्रार (शैक्षणिक) के कार्यालय द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित होगी। इन वर्गों के अंतर्गत होने वाले नामांकन के लिये समय-सारिणी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.du.ac.in पर अधिसूचित की जाएगी।
2. यदि सशस्त्र बल/कश्मीरी प्रवासी के बच्चों के लिये आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी किसी अन्य वर्ग (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत विचार किये जाने को इच्छुक हैं तो उन्हें अलग से इसके लिये रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
3. महिला अभ्यर्थीयों के लिये सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु 1% की छूट है।

पाठ्यक्रम और सीटों की संख्या

क्र. सं.	कोर्स	आवंटित सीट	सामान्य	अनु. ज.	अनु. जन.	ओ. बी. सी.
1.	बी. कॉम (ऑनर्स)	62	31	9	5	17
2.	बी.ए. (आनर्स) अर्थशास्त्र	46	24	7	3	12
3.	बी.ए. (आनर्स) हिन्दी	46	24	7	3	12
4.	बी.ए. (आनर्स) राजनीति विज्ञान	46	24	7	3	12
5.	बी. कॉम प्रोग्राम	185	93	28	14	50
6.	बी. ए. प्रोग्राम	185	93	28	14	50

पंजीकरण/नामांकन की प्रक्रिया

1. महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कट ऑफ सूची के आधार पर नामांकन दिया जाएगा। अलग से आवेदन/पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

नामांकन के समय दस्तावेज़ों की आवश्यकता

2. नामांकन के समय आवेदक को मूल प्रमाणपत्र दिखाने होंगे और निम्नांकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति कार्यालय में जमा करना होगा:
   1) दसवीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा का प्रमाणपत्र
   2) दसवीं कक्षा का अंक प्रमाणपत्र
   3) बारहवीं कक्षा का अंक प्रमाणपत्र
   4) बारहवीं कक्षा के औपबंधिक प्रमाणपत्र/मूल प्रमाणपत्र
   5) चरित्र प्रमाणपत्र (हाल का)
   6) सक्षम प्राधिकारी से निर्गत अनु. जा./अनु. जन. प्रमाणपत्र (अभ्यर्थी के नाम का)।
   7) समक्ष प्राधिकार से निर्गत अभ्यर्थी के नाम का ओ. बी. सी. प्रमाणपत्र (नॉन क्रीमी लेयर)।
   8) स्थानांतरण प्रमाणपत्र (विद्यालय/महाविद्यालय) से और बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवास प्रमाणपत्र। (उनके लिए जिन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा दिल्ली से बाहर उत्तीण किया है।)

   विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज़/पत्र लेती है। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यदि कोई भी गलत अभिप्रमाणन/रिकार्ड सामने आता है तो अगले पाँच वर्षों के लिए विद्यार्थी पर विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालय में कोई भी पाठ्यक्रम करने पर रोक लगा दिया जाएगा और साथ ही, उसके खिलाफ आई. पी. सी. की संबद्ध धाराओं (जैसे 470, 471, 474 आदि) के अंतर्गत आपराधिक मामला शुरू किया जाएगा।

नोट: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ. बी. सी. वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र की दो स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना चाहिए।

3. यदि कोई आवेदक नामांकन के लिए योग्य पाया जाता है। किन्तु वह अधिसूचित तिथि तक फीस व अन्य देर जमा नहीं कर पाता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

4. एक विद्यार्थी जो महाविद्यालय छोड़ना चाहता है, उसे मूल शुल्क जमा-पर्ची के साथ निर्धारित फार्म में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। फीस तथा अन्य देय विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वापस किए जाएँगे।
5. जिन आवेदकों को महाविद्यालय द्वारा नामांकन दिया गया है उन्हें हाल का श्वेत पृष्ठभूमि वाला छह रंगीन पासपोर्ट फोटो (4 सेमी. × 6 सेमी.) जमा करना होगा।
6. प्रत्येक नामांकन औपबंधिक है और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उसे मान्यता मिलनी होती है। यदि आवेदक द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो या नामांकन के समय महाविद्यालय प्राधिकार की दृष्टि में आने से रह गया हो तो नामांकन रद्द किया जा सकता है।
7. महाविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हैं।

नामांकन दिशा निर्देश

ऑनर्स पाठ्यक्रमों (कला/मानविकी पाठ्यक्रमों के लिये) के लिये 'सर्वोत्तम चार' विषयों के प्रतिशत की गणना की प्रक्रिया:

(क) सूची 'ए' के विषयों में एक भाषा और तीन सर्वोत्तम अकादमिक/ऐच्छिक विषयों के आधार पर योग्यता निर्धारित की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त चुने गए तीन अकादमिक/ऐच्छिक विषयों में से एक वह विषय होना चाहिए जिसमें नामांकन लेना हो, अन्यथा गणना किये गए सर्वोत्तम चार के प्रतिशत में से 2.5% घटा दिये जाएँगे। भाषाओं में ऑनर्स के लिये सर्वोत्तम चार की गणना के लिये आगे निर्देश देखें।

नोट:

1. यदि कोई अभ्यर्थी सूची 'ए' में दिये गए विषयों में से विषयों को शामिल नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक विषय के लिये अधिकतम अंक में से 2.5% अंक सर्वोत्तम चार की गणना हेतु घटा दिये जाएँगे।
2. सर्वोत्तम चार की गणना हेतु सम्मिलित किये गए विषयों का कम-से-कम 70% भाग सैद्धांतिक परीक्षा का होना चाहिये। यदि विचारणीय विषय का 70% भाग सैद्धांतिक और 30% भाग प्रायोगिक नहीं है तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक के अंक क्रमश: प्रो रेटा आधार पर बदले जाएँगे। ये नए अंक सर्वोत्तम चार की गणना हेतु विचारणीय होंगे।

   यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है–भौतिकी (90) (सिद्धांत 50, प्रयोग 40; अधिकतम अंक सैद्धांतिक 60, प्रायोगिक 40) और रसायन विज्ञान (91) (सिद्धांत 52, प्रयोग 39; अधिकतम अंक सैद्धांतिक 60, प्रायोगिक 40), जो कि 70:30 के अनुपात में नहीं है, तो अंक प्रो रेटा आधार पर परिवर्तित किये जाएंगे।

   भौतिक में अंक = 88.33; ((50/60) × 70 + (40/40) × 30) = 88.33

   रसायन में प्रो रेटा अंक = 89.91; (52/60) × 70 + (39/40) × 30) = 60.66 + 29.25 = 89.91

   स्नातक नामांकनों के लिये निम्नांकित अनुशासनिक विषयों को अकादमिक/ऐच्छिक विषय माना जाएगा। विभिन्न बोर्डों द्वारा दिये गए अन्य सभी विषय नन-इलेक्टिव माने जाएँगे।

सूची 'ए'

(अकादमिक/ऐच्छिक विषय)

अरबी	अंग्रेजी	इटालियन	पंजाबी	लेखा
बंगाली	फ्रेंच	विधि अध्ययन	मनोविज्ञान	
वनस्पतिशास्त्र	भूगोल	गणित	संस्कृत	
जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी	भूगर्भशास्त्र	संगीत	समाजशास्त्र	
रसायन विज्ञान	जर्मन	फारसी	स्पेनिश	
वाणिज्य/बिजनेस स्टडीज	हिंदी	दर्शनशास्त्र	सांख्यिकी	
कंप्यूटर साइंस/इंफोरमेटिक्स प्रैक्टिसेस	इतिहास	भौतिकी	उर्दू	
अर्थशास्त्र	गृहविज्ञान	राजनीति विज्ञान	प्राणिविज्ञान	

सर्वोत्तम चार की गणना के आधार

1. यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐच्छिक और कोर भाषाओं का अध्ययन किया हो, तो कोर भाषा विषय, भाषा माना जाएगा, जबकि ऐच्छिक भाषा को अकादमिक/ऐच्छिक विषय माना जाएगा।

2. बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र में नामांकन हेतु अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा गणित विषय पढ़ा जाना और उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. (क) किसी भी भाषा पाठ्यक्रम के ऑनर्स में नामांकन हेतु उन अभ्यर्थियों को सर्वोत्तम चार के प्रतिशत की गणना में 2 प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा जिन्होंने उसे ऐच्छिक भाषा के रूप में पढ़ा हो।

   (ख) यदि किसी अभ्यर्थी ने अर्हता परीक्षा में उस भाषा का अध्ययन न किया हो जिसके ऑनर्स पाठ्यक्रम में वह नामांकन लेना चाहता है तो उसके सर्वोत्तम चार के प्रतिशत में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जाएँगे। यह नियम अंग्रेजी (ऑनर्स) और हिंदी (ऑनर्स) पर लागू नहीं होगा।

   (ग) अंग्रेजी और हिंदी ऑनर्स पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अर्हता परीक्षा में संबंधित विषय का पढ़ा जाना और उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा सर्वोत्तम चार के प्रतिशत की गणना में संबंधित विषय को शामिल करना अनिवार्य है।

4. विश्वविद्यालय किसी विशेष ऑनर्स पाठ्यक्रम हेतु किसी अन्य प्रासंगिक विषय को अकादमिक/ऐच्छिक विषय घोषित कर सकता है।

उदाहरण : 1

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: एकाउंटेंसी (90), बिजनेस स्टडीज (92), अंग्रेजी कोर (88) और अर्थशास्त्र (94) कुल प्राप्तांक: 90 + 92 + 88 + 94 = 364; प्रतिशत: 91%

प्रभावी प्रतिशत : बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स) के लिये : 91%

बी.ए. अर्थशास्त्र (ऑनर्स) के लिये अर्हता नहीं है।

बी.ए. राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) के लिये : 91% – 2.5% = 88.5%

उदाहरण : 2

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: भौतिकी (96), रसायनशास्त्र (92), अंग्रेजी कोर (90) और गणित (94), अर्थशास्त्र (83)

स्थिति 1

कुल प्राप्तांक: 93 + 92 + 90 + 94 = 372; प्रतिशत 93%

प्रभावी प्रतिशत : बी.ए. इतिहास (ऑनर्स) के लिये : 93% – 2.5% = 90.5%

बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स) के लिये : 93%

बी.ए. अर्थशास्त्र (ऑनर्स) के लिये : 90.5%

स्थिति 2

कुल प्राप्तांक: 96 + 90 + 94 + 83 = 363; प्रतिशत 90.75%

प्रभावी प्रतिशत : बी.ए. इतिहास (ऑनर्स) के लिये : 90.75% – 2.5% = 88.25%

बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स) के लिये :93%

बी.ए. अर्थशास्त्र (ऑनर्स) के लिये : 90.75%

स्थिति 1 और स्थिति 2 की तुलना करने पर सर्वश्रेष्ठ चार

बी.ए. इतिहास (ऑनर्स) के लिये : 90.5%

बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स) के लिये : 93%

बी.ए. अर्थशास्त्र (ऑनर्स) के लिये : 90.75%

उदाहरण : 3

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: एकाउंट्स (88), अंग्रेजी कोर (92), पंजाबी इलेक्टिव (90), गणित (82) और वेब डिजाइनिंग (96)

कुल प्राप्तांक: 90 + 92 + 88 + 94 = 364; प्रतिशत : 91.5%

प्रभावी प्रतिशत : बी.ए. इतिहास (ऑनर्स) के लिये : 91.5% – 2.5% – 2.5% = 86.5%

बी.ए. पंजाबी (ऑनर्स) के लिये : 91.5% – 2.5% + 2% = 91%

बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स) के लिये : 91.5% – 2.5% = 89%

उदाहरण : 4

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: एकाउंट्स (90), बिजनेस स्टडीज (92), अंग्रेजी कोर (88) और गृह विज्ञान (94) और गणित (85)

कुल प्राप्तांक: 90 + 92 + 88 + 94 = 364; प्रतिशत : 91%

प्रभावी प्रतिशत : बी.ए. मनोविज्ञान (ऑनर्स) के लिये : 91 – 2.5 = 88.5%

बी.ए. अर्थशास्त्र (ऑनर्स) के लिये : 91 – 2.5% = 88.5%

बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स) के लिये : 91%

उदाहरण : 5

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: भौतिकी (85), रसायन शास्त्र (90), अंग्रेजी कोर (90), जीव विज्ञान (85) और गणित (75)

PCBE में कुल प्राप्तांक: 85 + 90 + 85 + 90 = 350; प्रतिशत : 87.5%

प्रभावी प्रतिशत : बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स) के लिये : 87.5%

बी.ए. राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) के लिये : 87.5% – 2.5% = 85%

बी.ए. अर्थशास्त्र (ऑनर्स) के लिये : 87.5% – 2.5% = 85%

उदाहरण : 6

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: अंग्रेजी इलेक्टिव (92), इतिहास (65), राजनीतिक विज्ञान (85), भूगोल (89) और गृह विज्ञान (90)

कुल प्राप्तांक: 92 + 85 + 89 + 90 = 356 (इतिहास को छोड़कर); प्रतिशत : 89%

प्रभावी प्रतिशत : बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स) के लिये : 89% + 2% (इलेक्टिव) = 91%

बी.ए. इतिहास (ऑनर्स) के लिये : 89% – 2.5% = 86.5% (इतिहास के अंक शामिल नहीं है।)

बी.ए. मनोविज्ञान (ऑनर्स) के लिये : 89% – 2.5% = 86.5%

बी.कॉम (ऑनर्स)/बी.कॉम के लिये सर्वश्रेष्ठ चार विषयों के प्रतिशत की गणना के लिये प्रक्रिया:

C1 सूची के पहले भाग से एक भाषा + C1 सूची के दूसरे भाग के सर्वश्रेष्ठ तीन विषय

अथवा

C1 सूची के पहले भाग से एक भाषा + C1 सूची के द्वितीय भाग, C2 सूची से किन्हीं भी विषयों का संयोजन अथवा अन्य कोई भी विषय (जो न तो C1 सूची में शामिल हो न ही C2 सूची में)। इस स्थिति में सर्वश्रेष्ठ चार के कुल प्रतिशत से अंकों की कटौती इस प्रकार होगी:

I. C2 सूची को मिलाकर प्रत्येक विषय के लिए सर्वश्रेष्ठ चार के कुल प्रतिशत से एक प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

II. अन्य प्रत्येक विषय (जो न तो C1 सूची में शामिल हैं न ही C2 सूची में) के लिये सर्वश्रेष्ठ चार के कुल प्रतिशत से 2.5% प्रति विषय की कटौती की जाएगी।

नोट:

1. सर्वश्रेष्ठ चार की गणना में शामिल किये जाने वाले सभी विषयों में कम-से-कम 70% अंक परीक्षा के सिद्धांत घटक का होना चाहिए। यदि सर्वश्रेष्ठ चार में सम्मिलित विषय में कम-से-कम 70% अंक सिद्धांत घटक का नहीं है तो इस स्थिति में प्रो रेटा आधार पर सिद्धांत और प्रायोगिक के प्राप्तांकों को क्रमश: 70% और 30% में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया से प्राप्त अंकों को सर्वश्रेष्ठ चार की गणना में माना जाएगा।
2. बी.कॉम (ऑनर्स) में प्रवेश पाने के लिये अभ्यर्थी का गणित/व्यवसायिक गणित का अर्हता परीक्षा में अध्ययन और उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. उपर्युक्त रूपरेखा में सर्वश्रेष्ठ चार विषयों की गणना चार विषयों के किसी भी अन्य संयोजन की गणना से उच्च होना चाहिये।

C1 सूची: बी.कॉम (ऑनर्स/बी.कॉम के कोर विषयों की सूची)

भाग 1 (भाषा)	भाग 2 (कोर विषय)
अंग्रेजी	गणित
हिंदी	एकाउंटेंसी
	बिजनेस स्टडीज/वाणिज्य
	अर्थशास्त्र

C2 सूची: बी.कॉम (ऑनर्स/बी.कॉम विषयों की अतिरिक्त सूची)

वनस्पति शास्त्र	भूगोल	दर्शनशास्त्र	सांख्यिकी
व्यवसायिक गणित	भूगर्भ शास्त्र	भौतिकी	प्राणि विज्ञान
जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी	इतिहास	राजनीति शास्त्र	
रसायन शास्त्र	गृह विज्ञान	मनोविज्ञान	
कंप्यूटर विज्ञान/सूचना विज्ञान	विधि अध्ययन	समाजशास्त्र	

उदाहरण : 7

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: एकाउंटेंसी (90), बिजनेस स्टडीज (92), अंग्रेजी कोर (88) और अर्थशास्त्र (94)

कुल प्राप्तांक : 90 + 92 + 88 + 94 = 364;

प्रतिशत : 91%

बी.कॉम (ऑनर्स) के लिये अर्हता नहीं है।

बी.कॉम के लिये प्रभावी प्रतिशत: 91%

उदाहरण : 8

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: भौतिकी (96)*, रसायन शास्त्र (92), अंग्रेजी कोर (90) और गणित (94)

कुल प्राप्तांक : 96 + 92 + 90 + 94 = 372; **प्रतिशत :** 93%

बी.कॉम (ऑनर्स) और बी.कॉम दोनों के लिये प्रभावी प्रतिशत: 93% – 2 – 1% = 90%

उदाहरण : 9

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: एकाउंटेंसी (88), अंग्रेजी कोर (92), पंजाबी इलेक्टिव (90), गणित (82) और वेब डिजाइनिंग (96)

स्थिति 1

कुल प्राप्तांक: 88 + 92 + 90 + 96 = 366; प्रतिशत: 91.5%

प्रभावी प्रतिशत : 91.5% – 2.5% – 2.5% = 86.5%

स्थिति 2

कुल प्राप्तांक: 88 + 92 + 82 + 96 = 358; प्रतिशत: 89.5%

प्रभावी प्रतिशत : 89.5% – 2.5% = 87%

बी.कॉम (ऑनर्स) और बी.कॉम दोनों के लिये प्रभावी प्रतिशत 87% होगा।

उदाहरण : 10

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: एकाउंटेंसी (90), बिजनेस स्टडीज (92), अंग्रेजी कोर (88), गृह विज्ञान (94) और गणित (85)

स्थिति 1

कुल प्राप्तांक: 90 + 92 + 88 + 94 = 364; प्रतिशत 91%

प्रभावी प्रतिशत : 91% – 1% = 90%

स्थिति 2

कुल प्राप्तांक: 90 + 92 + 88 + 85 = 355; प्रतिशत 88.75%

प्रभावी प्रतिशत : 89.75%

बी.कॉम (ऑनर्स) तथा और बी.कॉम दोनों के लिये प्रभावी प्रतिशत 90% होगा।

उदाहरण : 11

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: इतिहास (88), अंग्रेजी कोर (92), राजनीति विज्ञान (90) दर्शनशास्त्र (67) और वेब डिजाइनिंग (96)

कुल प्राप्तांक : 88 + 92 + 90 + 96 = 366; प्रतिशत 91.5%

बी.कॉम के लिये प्रभावी प्रतिशत 91.5% – 1% – 1% – 2.5% = 87% होगा।

उदाहरण : 12

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: गणित (90), बिजनेस स्टडीज (82), हिंदी (88), वेब डिजाइनिंग (94)* और चित्रकला (95)*

स्थिति 1

कुल प्राप्तांक: 90 + 88 + 94 + 95 = 367; प्रतिशत 91.75%

प्रभावी प्रतिशत : 91.75% – 2 × 2.5% = 86.75%

स्थिति 2

कुल प्राप्तांक: 90 + 82 + 88 + 95 = 354; प्रतिशत 88.75%

प्रभावी प्रतिशत : 88.75% – 2.5% = 86.25%

बी.कॉम (ऑनर्स) और बी.कॉम दोनों के लिये प्रभावी प्रतिशत 86.75% होगा।

बी.ए. प्रोग्राम के सर्वश्रेष्ठ चार विषयों के प्रतिशत के लिये गणना की प्रक्रिया–

(क) एक भाषा (कोर/ऐच्छिक/फंक्शनल)

(ख) किसी भी तीन ऐच्छिक विषयों को चुना जा सकता है। यदि स्ट्रीम में बदलाव किया जाता है तो सर्वश्रेष्ठ चार के प्रतिशत में से 5% तक की कटौती की जा सकती है अर्थात् या तो वाणिज्य स्ट्रीम से कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान या विज्ञान में स्ट्रीम से कला/मानविकी/समाजिक विज्ञान में जाने पर।

(ग) एक गैर-सूचीबद्ध विषय सर्वश्रेष्ठ चार की गणना में बिना कटौती के जोड़ा जा सकता है।

(घ) केवल बी.ए. (वोकेशनल) में नामांकन हेतु संबंधित वोकेशनल विषयों को अकादमिक/ऐच्छिक विषय के समान माना जा सकता है, यदि वह अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित है। ये सर्वश्रेष्ठ चार की गणना में शामिल किये जा सकते हैं।

(ङ) यदि कोई अभ्यर्थी विषय के रूप में आधुनिक भारतीय भाषा (MIL) (हिंदी के अलावा) को चुनता है, तो उन महाविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ चार में 10% तक का लाभ दिया जा सकता है जिनमें आधुनिक भारतीय भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता हो।

नोट:

(i) स्ट्रीम बदलाव के अंतर्गत बी.ए. (प्रोग्राम) में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थी के सर्वश्रेष्ठ चार में से महाविद्यालय द्वारा 2.5% की कटौती की जाएगी।

(ii) यदि एक से अधिक गैर-सूचीबद्ध विषय सर्वश्रेष्ठ चार की गणना में शामिल किये जाते हैं, तो स्ट्रीम परिवर्तन के कारण होने वाली कटौती के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ चार में से ऐसे प्रत्येक विषय हेतु 2.5% की कटौती की जा सकती है।

(iii) सर्वश्रेष्ठ चार में शामिल किये जाने वाले सभी विषयों में कम-से-कम परीक्षा में 70% सिद्धांत घटक का होना आवश्यक है। यदि किसी स्थिति में शामिल किये गए विषय का 70% सिद्धांत घटक और 30% प्रायोगिक घटक नहीं है तो प्रो रेटा आधार पर अंकों को क्रमशः 70% सिद्धांत घटक और 30% प्रायोगिक घटक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इन नए अंकों को सर्वश्रेष्ठ चार की गणना में माना जाएगा।

'सर्वश्रेष्ठ चार' प्रतिशत की गणना के लिये निम्नलिखित उदाहरण दिये गए हैं–

उदाहरण : 13

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: एकाउंटेंसी (90), बिजनेस स्ट्डीज (92), अंग्रेजी कोर (88) और अर्थशास्त्र (94)

कुल प्राप्तांक : 90 + 92 + 88 + 94 = 364;

कुल प्रतिशत : 91%

बी.ए. प्रोग्राम के लिये प्रभावी प्रतिशत: 91% – 5% = 86% स्ट्रीम परिवर्तन के कारण अतिरिक्त कटौती

उदाहरण : 14

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: भौतिकी (96)*, रसायन शास्त्र (92)*, अंग्रेजी कोर (90) और गणित (94)

कुल प्राप्तांक : 96 + 92 + 90 + 94 = 372;

कुल प्रतिशत : 93%

बी.ए. प्रोग्राम के लिये प्रभावी प्रतिशत: 93% – 5% = 88% स्ट्रीम परिवर्तन के कारण अतिरिक्त कटौती

उदाहरण : 15

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: इतिहास (88), अंग्रेजी कोर (92), राजनीति विज्ञान (90) और वेब डिजाइनिंग (96)*

कुल प्राप्तांक : 88 + 92 + 90 + 96 = 366;

कुल प्रतिशत : 91.5%

बी.ए. प्रोग्राम के लिये प्रभावी प्रतिशत: 91.5%

उदाहरण : 16

यदि किसी अभ्यर्थी का प्राप्तांक है: एकाउंटेंसी (90), बिजनेस स्टडीज (62), अंग्रेजी कोर (88), वेब डिजाइनिंग (94)* और चित्रकला (95)*

कुल प्राप्तांक : 90 + 95 + 88 + 94 = 367;

कुल प्रतिशत : 91.75%

बी.ए. प्रोग्राम के लिये प्रभावी प्रतिशत: 91.75% – 5% – 2.5 दूसरे वोकेशनल विषय के लिये = 84.25%

इन प्रश्नपत्रों के अंक 70:30 (सिद्धांत: प्रयोग) के अनुपात में होने चाहिये, अन्यथा, प्रो रेटा आधार पर गणना किये गए अंक विचारणीय होंगे।

बी.ए. प्रोग्राम में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर में एक भाषा प्रश्नपत्र, एकएईसीसी प्रश्नपत्र (संप्रेषण/पर्यावरण अध्ययन) और दो अनुशासन प्रश्नपत्र लेने होंगे।

(क) भाषा पाठ्यक्रम

1. अंग्रेजी क/ख 2. हिंदी क/ख

(ख) ए.ई.सी.सी. पाठ्यक्रम

1. संप्रेषण/पर्यावरण अध्ययन

- जिन विद्यार्थियों ने +2 स्तर पर अंग्रेजी उत्तीर्ण किया हो उन्हें अंग्रेजी 'क' पढ़ना होगा, अन्यथा अंग्रेजी 'ख'।
- जिन विद्यार्थियों ने +2 स्तर पर हिंदी उत्तीर्ण किया हो उन्हें हिंदी 'क' पढ़ना होगा, जिन्होंने दसवीं तक हिंदी पढ़ी हो, उन्हें हिंदी 'ख' पढ़ना होगा, अन्यथा हिंदी 'ग'।

2.2. **अनुशासन पाठ्यक्रमः** अभ्यर्थियों के पास समूह 'क' से एक और समूह 'ख' से एक विषय चुनने का विकल्प होगा, जो कि नीचे दिये गए हैं। ये अनुशासन विषय अनुशासन I और अनुशासन II कहे जाएंगे जिनका निर्धारण अंग्रेजी वर्णनाक्रम के अनुसार होगा।

समूह 'क'
गणित
अंग्रेजी (अनुशासन)
राजनीति विज्ञान
हिंदी (अनुशासन)

समूह 'ख'
कंप्यूटर विज्ञान
अर्थशास्त्र
इतिहास

प्रत्येक विषय के उपलब्ध स्थानों की संख्या लगभग 50/65 है/(समूह 'क' / समूह 'ख' के लिये)।

प्रवास/पूर्व छात्रों का पुनर्प्रवेश

विश्वविद्यालय नियमानुसार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों के बाद ही प्रवास (माइग्रेशन) की अनुमति दी जाएगी। प्रवास हेतु आवेदनों पर योग्यतानुसार विचार किया जाएगा और यह संबंधित पाठ्यक्रम में वर्तमान छात्र-संख्या के अधिकतम 5% तक सीमित होगा।

जिन पूर्व-छात्रों ने अपनी I और/अथवा II वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी उन्हें अपने परीक्षा-परिणाम घोषित होने के बाद एक माह के भीतर अगली कक्षा में नामांकन ले लेना चाहिए। इसमें असफल होने पर वे अपना नामांकन का अधिकार खो देंगे। ऐसे छात्रों का नामांकन महाविद्यालय और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होगा।

जो पूर्व-छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठना चाहें उन्हें अपना विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म यथाशीघ्र जमा करना होगा। महाविद्यालय अन्तिम तिथि के बाद ऐसे फार्मों को अग्रसारित नहीं करेगा।

उपस्थिति

विद्यार्थी को विश्वविद्यालय नियमों के अनुरूप कक्षाएँ करनी होंगी। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश VII (2) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे। उपस्थिति में कमी होने की दशा में विश्वविद्यालय के नियम सख्ती से लागू किए जाएँगे। बीमार होने वाले विद्यार्थियों को दो-तीन दिनों के भीतर मेडिकल लीव के लिए आवेदन कर देना चाहिए। छुट्टी हेतु आवेदन के साथ एक मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए और अध्ययन के पुनर्रारंभ के लिए एक फिटनेस प्रमाणपत्र आवश्यक होगा। प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में उपस्थिति की गणना की जाएगी। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होगी उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संबंधित शिक्षक से अपनी उपस्थिति का पता कर लें।

आंतरिक मूल्यांकन

आंतरिक मूल्यांकन को अनिवार्य बना दिया गया है और यह विश्वविद्यालय परीक्षा-व्यवस्था का अभिन्न भाग है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल अंकों का अधिकतम 25% अंक सतत आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अंकपत्र में आंतरिक मूल्यांकन के अंक अलग से दिखाए जाएँगे। ये अंक विद्यार्थियों के श्रेणी-निर्धारण हेतु सत्र-परीक्षा के अंकों में जोड़े जाएँगे।

आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के आधार

(a) 10% अंकभार महाविद्यालय में ली गई जाँच परीक्षा के होंगे।

(b) 10% अंकभार लिखित एसाइन्मेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट/टर्म, पेपर/संगोष्ठी के होंगे।

(c) 5% अंकभार लेक्चर और ट्यूटोरियल कक्षाओं में उपस्थिति की नियमितता के लिये दिये जाएँगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में उपस्थिति पर आधारित नियमितता हेतु प्रदत्त अंक निम्नानुसार होंगे:

क्र. सं.		5 में से पदत्त अंक
1.	67% से अधिक, लेकिन 70% से कम	1
2.	70% या अधिक, लेकिन 75% से कम	2
3.	75% या अधिक, लेकिन 80% से कम	3
4.	80% या अधिक, लेकिन 85% से कम	4
5.	85% या उससे अधिक	5

शुल्क और अन्य देय

1. प्रवेश के समय विद्यार्थी को अपने शुल्क और वार्षिक देयों का शुल्क सारणी के अनुसार भुगतान करना होगा।
2. शुल्क नकदी में महाविद्यालय परिसर में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक्सटेंशन काउंटर पर जमा करना होगा। चेक से शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं है। एक बार शुल्क का भुगतान कर देने पर उसकी वापसी विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होगी।
3. सुरक्षा राशि, जो कि वापसी योग्य है, की वापसी का दावा विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़े जाने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा, अन्यथा सुरक्षा राशि महाविद्यालय के अधीन चली जाएगी।
4. जब तक नाम कट न जाए, विद्यार्थी महाविद्यालय शुल्कों और दंडों का भुगतान (यदि कोई हो) करने के लिए बाध्य है। वे विद्यार्थी जो अगली उच्च कक्षा में अग्रसारित हो चुके हैं और अपना अध्ययन जारी नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें महाविद्यालय कार्यालय को पहले से ही लिखित सूचना दे देनी चाहिए।
5. छुट्टी या बिना छुट्टी के महाविद्यालय से अनुपस्थिति को फीस के अभुगतान के कारण रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वे विद्यार्थी जिन्हें महाविद्यालय से अनुपस्थित रहना हो, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपने शुल्क का भुगतान सुनिश्चित कर लें।
6. उन विद्यार्थियों के नाम, जो अधिसूचित अंतिम तिथि तक अपना शुल्क जमा नहीं करेंगे, महाविद्यालय पंजिका से काट दिया जाएगा, लेकिन वे 50/- रुपये के पुनर्नामांकन शुल्क का भुगतान करने पर प्राचार्य द्वारा पुनर्नामांकन हेतु विचार किए जाएँगे। यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं कर पाता और यदि शुल्क-भुगतान नहीं होने के कारण उसका नाम कट जाता है तो उसे उस तिथि तक के शुल्क का भुगतान करना होगा जिस तिथि से वह नामांकन चाहता/चाहती है या जिस तिथि से वह अपने अध्ययन को बंद करना चाहता/चाहती है। ऐसे विद्यार्थी को महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप से महाविद्यालय कार्यालय को सूचित करना होगा।

शुल्क विवरण (वर्ष 2017-18 के दौरान)

नियमित विद्यार्थी

क्र.सं.	देय राशि (महाविद्यालय)	प्रथम वर्ष
1.	शिक्षण शुल्क (मई से अप्रैल)	180
2.	प्रवेश शुल्क	20
3.	पुस्तकालय प्रतिभूति (रिफनडेबुल)	500
4.	परिचय पत्र	50
5.	पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष	300
6.	महाविद्यालय पत्रिका	100
7.	छात्र उपादान कोष	60
8.	विद्युत एवं जल शुल्क	200
9.	विकास कोष	2000
10.	खेल-कूद कोष	750
11.	संगोष्ठी	250
12.	समितियाँ	210
13.	कॉमन रूम	100
14.	छात्र संघ (महाविद्यालय)	300
15.	सोशल गेदरिंग और मीटिंग	500
16.	मेडिकल एवं हाइजिन कोष	150
17.	उद्यान कोष	100
18.	एन.सी.सी.	150
19.	सामान्य सुविधाएँ	500
20.	विद्युत मरम्मत और रख-रखाव	200
21.	फाइन आर्टस और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	150
22.	सुरक्षा-व्यवस्था शुल्क	800
23.	कम्प्यूटर रख-रखाव शुल्क	800
24.	आंतरिक परीक्षा/एसाइन्मेंट मेटेरियल	70
	विश्वविद्यालय शुल्क	
25.	प्लेसमेंट एंड करियर काउंसेलिंग शुल्क	100
26.	गुणवत्ता	100
27.	दक्षता विकास शुल्क	50
28.	छायाचित्र और फिल्म निर्माण	50
29.	वाद-विवाद और बौद्धिक क्रियाकलाप शुल्क	40
30.	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	10
31.	निबंधन शुल्क	200

32.	ऐथलेटिक एसोशिएसन	50
33.	विश्वविद्यालय छात्र-संघ	20
34.	डब्ल्यू.यू.एस.	5
35.	विश्वविद्यालय विकास कोष	600
36.	सांस्कृतिक परिषद्	5
37.	एन.एस.एस.	20
38.	लैंगिक शोषण कोष	10
	कुल	**9700.00**

सुविधाएँ एवं विशिष्टताएँ

पुस्तकालय

महाविद्यालय पुस्तकालय में कला, वाणिज्य, कम्प्यूटर, मानविकी आदि से संबद्ध लगभग सभी विषयों की लगभग 50,000 पुस्तकों का उत्तम संग्रह है और यहाँ 22 पत्र-पत्रिकाएँ भी खरीदी जाती हैं। पुस्तकालय में नियमित रूप से हिन्दी और अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचारपत्रों की खरीद होती है। पुस्तकालय में प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए एक खुला शेल्फ-सिस्टम है। पुस्तकालय कम्प्यूटरीकृत एवं वातानुकूलित है। प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को 4 कार्ड तथा बी. कॉम एवं बी. ए. प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए 3 कार्ड निर्गत किए जाते हैं। पुस्तकालय का अध्ययन-कक्ष विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क इन्टरनेट ब्राउजिंग सुविधा से युक्त कम्प्यूटरों से सुसज्जित है।

बैंक

महाविद्यालय परिसर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है जो कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सभी बैंकिग आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

कैंटीन

महाविद्यालय में उचित दर पर उत्तम अल्पाहार एवं खानपान उपलब्ध करनेवाली एक बड़ी एवं वातानुकूलित कैंटीन है।

आंतरिक शिकायत समिति

अध्यादेश XV (D) के अनुसार: महाविद्यालय में 'सेक्सुअल हैरासमेंट की रोक और दण्ड' के लिए बनी जेंडर सेंसिटाइजेशन समिति सेक्सुअल हैरासमेंट की शिकायतों को देखेगी। वर्तमान समिति में सदस्यों के नामों के लिए समितियों की सूची देखें।

शैक्षणिक समितियाँ

सभी विभागों की अपनी शैक्षणिक समितियाँ हैं। एक विशेष विषय के सभी विद्यार्थी इसकी शैक्षणिक समिति के सदस्य होंगे और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसकी गतिविधियों में भाग लें।

खेल-कूद

महाविद्यालय में खेल-कूद में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए इनडोर एवं आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, फुटबॉल, टेबुल टेनिस, हॉकी, एथलेटिक्स और जूडो में विशेषज्ञ परामर्श एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इनमें भाग लेने हेतु लगातार उत्साहित किया जाता है।

एन. सी. सी. (नेशनल कैडेट कॉर्पस)

महाविद्यालय में एन. सी. सी. प्रशिक्षण की व्यवस्था है। एन. सी. सी. वर्ष में एक बार अपने वार्षिकोत्सव 'आरोही' का आयोजन करती है। छात्र कैडेट और छात्रा कैडेट की अलग-अलग शाखाएँ हैं जैसे कि वायु सेना, जल सेना और थल सेना। जो एन. सी. सी. में शामिल होने को इच्छुक हों, उन्हें एन. सी. सी. अधिकारी के पास आवेदन देना चाहिए।

एन. एस. एस.

एन. एस. एस. महाविद्यालय में जुलाई 1970 में आरंभ हुआ। जिन्हें एन. एस. एस. में शामिल होना है, उन्हें महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित फार्म में अगस्त महीने में आवेदन देना चाहिए। महाविद्यालय की एन. एस. एस. शाखा विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना जाग्रत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

गाँधी अध्ययन सर्किल

महाविद्यालय में गाँधी भवन दिल्ली विश्वविद्यालय से संलग्न एक गाँधी अध्ययन सर्कल है। इसका ध्येय गाँधी के विचार और दर्शन को युवा विद्यार्थियों में प्रचलित करना है। जो विद्यार्थी गाँधी अध्ययन सर्किल में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे प्रभारी, गाँधी अध्ययन सर्किल से संपर्क कर सकते हैं।

महाविद्यालय की पत्रिका

महाविद्यालय 'स्तवक' नाम की एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करती है। इसमें विद्यार्थियों और महाविद्यालय के कर्मियों के लेख, कविताएँ, कहानियों और गतिविधियाँ हिन्दी व अंग्रेजी सेक्शन में छपती हैं।

पहचान पत्र

महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश केवल पहचान पत्र दिखाने पर ही होगा। विद्यार्थियों को मिला पहचान पत्र महाविद्यालय से नाम वापस लेने के समय वापस करना होगा, ऐसा नहीं करने पर ₹ 120/- तक का दंड देना पड़ेगा। डुप्लिकेट पहचान पत्र तभी मिलेगा जब विद्यार्थी ने गुम हुए पहचान पत्र के लिए पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. दायर कर दिया हो और दंड भुगतान कर दिया हो।

वित्तीय उपादान और सहायता

महाविद्यालय सारणी

महाविद्यालय सप्ताह में छह दिन खुला रहता है। कक्षाएँ 2.30 दोपहर में आरंभ होती हैं और एक पीरियड 60 मिनटों का होता है।

(क) फीस में छूट

सुपात्र व सुयोग्य विद्यार्थियों को फीस में छूट के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। जिन विद्यार्थियों को फीस में छूट चाहिए उन्हें महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित फार्म में अधिसूचित तिथि तक आवेदन देना चाहिए। फीस छूट पर विचार विद्यार्थी के अच्छे चरित्र और परीक्षा में अच्छे परिणामों पर निर्भर करता है। संतोषजनक प्रदर्शन करने में असफलता पर, चाहे वह शैक्षणिक परिणाम हो या अनुशासन, छूट को वापस लिया जा सकता है।

(ख) विद्यार्थी उपादान कोष

महाविद्यालय ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक विद्यार्थी उपादान कोष की स्थापना की है। इस कोष का ध्येय योग्य विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना शिक्षण या परीक्षा शुल्क दे सके अथवा पुस्तक खरीद सकें।

(ग) अनु. ज./अनु. जन./ओ. बी. सी. छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ. बी. सी. इत्यादि के विद्यार्थियों को राज्य सरकारों से छात्रवृत्ति की अनुमति है। ऐसे विद्यार्थियों को निर्धारित फार्म में अधिसूचित समय सीमा के भीतर महाविद्यालय के माध्यम से अपने राज्यों के संबंधित प्राधिकारों के यहाँ आवेदन देना होगा। अहर्त विद्यार्थियों को फरवरी माह तक आवेदन देना होगा।

(घ) रेल में छूट

छुट्टियों में अपने गृह माता-पिता के पास महाविद्यालय से जाने व वापस आने के लिए रेल से छूट ले सकते हैं। इस कार्य के लिए नामांकन प्रपत्र में दर्ज़ स्थायी पता ही अंतिम होगा। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि रेल की यह छूट संबंधियों से मिलने अथवा घूमने जाने के प्रयोजन पर लागू नहीं होगा। पते में किसी भी बदलाव की सूचना पता बदलते ही माता-पिता को सीधे महाविद्यालय को देना चाहिए। पता बदलने के आवेदन के साथ दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में संलग्न होना चाहिए।

छात्रवृत्ति और पुरस्कार

शैक्षणिक पुरस्कार

वार्षिकोत्सव के समय विद्यार्थियों को उनके वार्षिक परीक्षा परिणामों के आधार पर शैक्षणिक पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नांकित नगद स्मृति पुरस्कार भी दिए जाते हैं-

(i) श्री सुन्दरलाल रोहतगी एवं श्रीमती रूपवती रोहतगी स्मृति पुरस्कार

250/- रुपयों के तीन पुरस्कार बी॰ कॉम (प्रतिष्ठा), बी॰ कॉम एवं बी॰ ए॰ पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में प्रथम आए विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ये पुरस्कार स्वर्गीय बी. बी. रोहतगी द्वारा अपने माता-पिता की पुण्य स्मृति में आरंभ किए गए थे।

(ii) कुमारी कणिका गुप्ता स्मृति पुरस्कार

500 रुपये मूल्य के पुरस्कार बी. कॉम (प्रतिष्ठा) I और II वर्ष की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार वाणिज्य विभाग के डॉ. आर. एल. गुप्ता द्वारा अपनी पुत्री कुमारी कणिका गुप्ता की पुण्य स्मृति में आरंभ किए गए।

(iii) कुलपति वित्तीय सहयोग

यह वित्तीय सहयोग उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जिनकी पारिवारिक आय, संपूर्ण स्रोतों से, 1 लाख प्रतिवर्ष से कम होती है और जिनके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ए. पी. एल और बी. पी. एल. का मान्य राशन कार्ड होता है।

(iv) श्यामलाल गुप्ता स्मृति पुरस्कार

श्यामलाल चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय पद्मश्री श्यामलाल गुप्ता की स्मृति में 11000 रुपये का पुरस्कार आरंभ किया गया। यह पुरस्कार प्रथम/द्वितीय वर्ष के उस विद्यार्थी को दिया जाता है जिसने किसी भी पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक-प्रतिशत प्राप्त किया हो।

(v) दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य पुरस्कार और वित्तीय सहायता:

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित अनेक पुरस्कार/वित्तीय सहयोग/छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि विस्तृत जानकारी के लिए वे नोटिस बोर्ड देखें।

(vi) खेल पुरस्कार

प्रत्येक वर्ष बेहतरीन खिलाड़ी को खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं यदि वे इस उद्देश्य हेतु निर्धारित न्यूनतम स्तर को प्राप्त करते हैं।

अनुशासनात्मक अधिकार-क्षेत्र और आचार-नियमावली

महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी, प्राचार्य और विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के ऐसे अन्य पदाधिकारियों जिन्हें अधिनियमों विधियों, अध्यादेश XV-B और नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो, के अनुशासनात्मक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

रैंगिंग पर प्रतिबंध और रैंगिंग के लिए दंड

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV-C के अनुसार किसी भी रूप में रैंगिग पर सख्त प्रतिबंध है। महाविद्यालय उच्च स्तर की शालीनता एवं शांति स्थापित करना चाहता है। यह उम्मीद की जाती है कि विद्यार्थी अनुशासन और सौहार्द्र का भाव प्रदर्शित करेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे महाविद्यालय का नाम खराब हो। शांति एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए आचरण के निम्नांकित नियम बनाए गए हैं।

1. महाविद्यालय परिसर, सभाओं, संगोष्ठियों, कार्यक्रमों, सिनेमा, प्रदर्शनों आदि में महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी अपना पहचान पत्र अपने पास अवश्य रखें।
2. विद्यार्थी अपनी कक्षा में समय से पहुँचे और विलम्ब से आने की दशा में शिक्षक की आज्ञा के बिना कक्षा में प्रवेश न करें।
3. विद्यार्थी कक्षा के सामने जमा न हों और न ही गलियारे में ऐसी चहलकदमी करें जिससे शिक्षण में व्यवधान पैदा हो।
4. विद्यार्थी पुस्तकालय की पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों आदि तथा महाविद्यालय के ब्लैक बोर्डों, दीवारों, डेस्कों आदि को क्षति न पहुँचाएँ।
5. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, थूकना और मद्यपान पर सख्त निषेध है। मोबाइल फोन का प्रयोग करने या उनपर संगीत सुनने पर उसकी जब्ती हो सकती है और/या दण्ड देना पड़ सकता है।
6. साइकिल सहित सभी गाड़ियाँ महाविद्यालय के मुख्य द्वार के निकट स्थित पार्किंग स्थल में रखी जानी चाहिए।
7. अनुशासनात्मक नियम छात्र-संघ के पदाधिकारियों सहित सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
8. महाविद्यालय परिसर में कोई हथियार रखना या अशांति फैलाना सख्त मना है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी।
9. महाविद्यालय में महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार या भाषा के प्रयोग को अनुशासनहीनता माना जाएगी और इसपर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

छात्र संघ

1. महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के छात्र-संघ के सदस्य हैं। यह छात्र संघ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डी. यू. एस. यू.) से भी संबद्ध है।
2. महाविद्यालय का छात्र संघ स्टॉफ कौंसिल द्वारा स्वीकृत/संशोधित छात्र संघ संविधान, 2008 और उसमें बनाए नियमों तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा चुनाव-संचालन के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।
3. सभी पदाधिकारी शैक्षणिक सत्र के अन्तिम कार्यदिवस तक अपने पदों पर बने रहेंगे।
4. छात्र-संघ संविधान को महाविद्यालय के बेवसाइट www.shyamlale.du.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

लोक सूचना अधिकारी

श्री दीपक कुमार
एस. ओ. (प्रशासन)
श्यामलाल महाविद्यालय (सांध्य)
जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
दूरभाष: 011-22324883

अपीली पदाधिकारी

डॉ. प्रवीण कुमार
प्राचार्य
श्यामलाल महाविद्यालय (सांध्य)
जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032

विद्यार्थियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों/पत्रों की स्वअभिप्रमाणित फोटो प्रति नामांकन हेतु स्वीकार किए जाएँगे। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यदि कोई भी गलत अभिप्रमाणन/रिकार्ड सामने आता है तो अगले पाँच वर्षों के लिए विद्यार्थी पर विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालय में कोई भी पाठ्यक्रम करने पर रोक लगा दिया जाएगा और साथ ही, उसके खिलाफ आई. पी. सी. की संबद्ध धाराओं (जैसे 470, 471, 474 आदि) के अंतर्गत आपराधिक मामला शुरू किया जाएगा।

समितियाँ (2017-18)

महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यचर्या और सामान्य अनुशासन सहित पाठयेतर गतिविधियाँ स्टॉफ कौंसिल और इसकी समितियों की देखरेख में संपन्न होगी। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जरूरतों और शिकायत की सुनवाई के लिए संबंद्ध सदस्य/प्रभारी से संपर्क करें। **समितियाँ निम्नांकित हैं-**

1. प्रवेश समिति (केंद्रीय प्रवेश समिति)

(i) डॉ. एस.पी. शर्मा, (संयोजक)
(ii) डॉ. हरीश खन्ना
(iii) डॉ. प्रमोद कुमार
(iv) डॉ. मनु उमेश

शिक्षक प्रभारी

(i) श्री कमलेश अत्री (वाणिज्य)
(ii) सुश्री भारती कुमार (कंप्यूटर विज्ञान)
(iii) डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह (अर्थशास्त्र)
(iv) डॉ. रीनू गुप्ता (हिंदी)
(v) डॉ. प्रमोद कुमार (इतिहास)
(vi) डॉ. वी.के. त्यागी (गणित)
(vii) श्री कुमार प्रशांत (राजनीति शास्त्र)

2. बी.ए. (प्रोग्राम) प्रवेश समिति

(i) डॉ. प्रमोद कुमार (संयोजक)
(ii) डॉ. सुनीता सक्सेना (सह-संयोजक)
(iii) सुश्री भारती कुमार
(iv) डॉ. कुसुम देवी
(v) डॉ. रेणु गुप्ता
(vi) डॉ. सुनीता खुराना
(vii) डॉ. अमित सिंह
(viii) डॉ. देव नारायण सिंह

3. बी.कॉम (प्रोग्राम) समिति

(i) लेफ्टिनेंट अनिल कुमार वर्मा (संयोजक)
(ii) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी
(iii) डॉ. मनु उमेश

4. एस.सी./एस.टी./पी.एच./ओ.बी.सी. जाँच-पड़ताल समिति

(i) श्री राजेंद्र कुमार (संयोजक)
(ii) श्री लेफ्टिनेंट अनिल कुमार वर्मा
(iii) श्री नेहखोलेन हेवोकिप
(iv) डॉ. कुसुम देवी
(v) डॉ. रामरूप मीना
(vi) डॉ. ऋतेश भारद्वाज
(vii) डॉ. संदीप कुमार यादव
(viii) डॉ. देव नारायण सिंह
(ix) डॉ. संध्या वर्मा
(x) डॉ. अशोक कुमार यादव

5. विवरणिका समिति

(i) डॉ. संदीप कुमार यादव (संयोजक)
(ii) डॉ. हरीश खन्ना
(iii) डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी
(iv) डॉ. रामरूप मीना
(v) सुश्री गौरी सक्सेना
(vi) डॉ. कुसुम देवी

6. शैक्षणिक योजना समिति

(i) श्री कमलेश अत्री (संयोजक)
(ii) डॉ. प्रमोद कुमार
(iii) डॉ. वी.के. त्यागी
(iv) सुश्री भारती कुमार
(v) डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह
(vi) डॉ. प्रीति शुक्ला
(vii) डॉ. रीनू गुप्ता
(viii) श्री कुमार प्रशांत

7. विकास समिति

(i) डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह (संयोजक)
(ii) श्री कमलेश अत्री
(iii) श्री अजय गुप्ता
(iv) डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी
(v) डॉ. अमित सिंह
(vi) डॉ. रीनू गुप्ता
(vii) डॉ. संदीप कुमार यादव

8. क्रय समिति

(i) श्री कुमार प्रशांत (संयोजक)
(ii) डॉ. रमेश कुमार
(iii) डॉ. अर्चना उपाध्याय
(iv) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी
(v) श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा
(vi) श्री कमलेश अत्री
(viii) श्री राजेंद्र कुमार
(ix) श्री अशोक कुमार यादव
(x) डॉ. संदीप कुमार यादव

9. वित्तीय सहायता समिति

(i) डॉ. ऋतेश भारद्वाज (संयोजक)
(ii) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी
(iii) लेफ्टिनेंट अनिल कुमार वर्मा
(iv) श्री कमलेश अत्री
(v) श्री कुमार प्रशांत

10. आंतरिक मूल्यांकन एवं परिक्षा समिति

(i) डॉ. प्रमोद कुमार (संयोजक)
(ii) डॉ. प्रमोद कुमार
(iii) डॉ. वी.के. त्यागी
(iv) श्री कमलेश अत्री
(v) सुश्री भारती कुमार
(vi) डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह
(vii) डॉ. प्रीति शुक्ला
(viii) डॉ. रीनू गुप्ता
(ix) श्री कुमार प्रशांत

11. कला, नाटक एवं संस्कृति समिति

(i) श्री अश्विनी जस्सल (संयोजक)
(ii) डॉ. डी.एन. सिंह
(iii) सुश्री इला भूषण
(iv) श्री कमलेश अत्री
(v) डॉ. संध्या वर्मा
(vi) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी

12. पी.एफ. निवेश समिति

(i) श्री जे.के. बरेजा (संयोजक)
(ii) डॉ. वी.के. त्यागी
(iii) डॉ. अनिल कुमार राय

13. उद्यान समिति

(i) डॉ. कुसुम देवी (संयोजक)
(ii) डॉ. संदीप कुमार यादव
(iii) डॉ. संध्या वर्मा
(iv) डॉ. सरिता
(v) डॉ. दीपिका वर्मा
(vi) डॉ. सुरेंद्र कुमार शर्मा

14.पत्रिका समिति

(i) डॉ. प्रीति शुक्ला (अंग्रेजी)
(ii) डॉ. सुनीता खुराना (हिंदी)
(iii) डॉ. सुनीता सक्सेना (हिंदी)
(iv) डॉ. दीपिका वर्मा (हिंदी)

15. पुस्तकालय समिति

(i) डॉ. प्रमोद कुमार (संयोजक)
(ii) श्री कमलेश अत्री
(iii) सुश्री भारती कुमार
(iv) डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह
(v) डॉ. प्रीति शुक्ला
(vi) डॉ. रीनू गुप्ता
(vii) डॉ. वी.के. त्यागी
(viii) श्री कुमार प्रशांत

16. खेलकूद, कॉमन रूप और योग समिति

(i) डॉ. एस.के. तनेजा (संयोजक)
(ii) डॉ. ऋतेश भारद्वाज (नॉमिनी स्टाफ काउंसिल)
(iii) डॉ. अश्विनी जस्सल

17. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट समिति

(i) सुश्री भारती कुमार (संयोजक)
(ii) श्री कमलेश अत्री
(iii) सुश्री भारती कुमार

(iv) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी
(v) डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी
(vi) डॉ. कमलेश अत्री
(vii) डॉ. अर्चना उपाध्याय
(viii) सुश्री गौरी सक्सेना

18. न्यू पेंशन योजना समिति

(i) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी (संयोजक)
(ii) डॉ. प्रमोद कुमार
(iii) श्री अश्विनी जस्सल
(iv) सुश्री इला भूषण
(v) डॉ. स्तुति अत्री
(vi) श्री कमलेश अत्री

19. एन.एस.एस. समिति

(i) डॉ. संदीप कुमार यादव (संयोजक)
(ii) श्री कुमार प्रशांत
(iii) श्री कमलेश अत्री
(iv) डॉ. सुनीता सक्सेना
(v) डॉ. कुसुम देवी
(vi) डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी
(vii) डॉ. रामरूप मीना

20. गांधी अध्ययन केंद्र समिति

(i) डॉ. अमित सिंह (संयोजक)
(ii) डॉ. वी.के. त्यागी
(iii) डॉ. रमेश कुमार
(iv) श्री कुमार प्रशांत
(v) डॉ. भारती
(vi) डॉ. रामरूप मीना
(vii) श्री कमलेश अत्री
(viii) डॉ. सुनीता खुराना

21. इको-क्लब समिति

(i) डॉ. सुनीता सक्सेना (संयोजक)
(ii) श्री जे.के. बरेजा
(iii) डॉ. दीपिका वर्मा
(iv) सुश्री इला भूषण
(v) डॉ. सुनीता खुराना

22. समान अवसर प्रकोष्ठ समिति

(i) श्री अश्विनी जस्सल (संयोजक)
(ii) श्री पवन कुमार भूरा
(iii) डॉ. सुमित्रा
(iv) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी
(v) सुश्री अनीता (कार्यालय)

23. डब्ल्यू.यू.एस. और स्वास्थ्य जागरूकता समिति

(i) डॉ. रेणु गुप्ता (संयोजक)
(ii) डॉ. सुरभि बधवार
(iii) डॉ. स्तुति गुप्ता
(iv) डॉ. भारती
(v) डॉ. रामरूप मीना

24. समय-सारिणी समिति

(i) डॉ. एस.पी. शर्मा (संयोजक)
(ii) डॉ. वी.के. त्यागी
(iii) डॉ. प्रमोद कुमार
(iv) श्री कुमार प्रशांत
(v) डॉ. प्रीति शुक्ला
(vi) सुश्री भारती कुमार
(vii) डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह
(viii) श्री कमलेश अत्री
(ix) डॉ. रीनू गुप्ता

25. नवोन्मेष-नैक समिति

(i) डॉ. वी.के. त्यागी (संयोजक)
(ii) डॉ. प्रमोद कुमार
(iii) श्री कुमार प्रशांत
(iv) डॉ. प्रीति शुक्ला
(v) डॉ. देवनारायण सिंह
(vi) सुश्री भारती कुमार
(vii) डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह
(viii) डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी
(ix) डॉ. रीनू गुप्ता
(x) डॉ. मनु उमेश

(xi) श्री अजय गुप्ता

(xii) कमलेश अत्री

(xiii) डॉ. संदीप कुमार यादव

26. अनुशासनिक संसाधन और एंटी रैगिंग समिति

(i) डॉ. रमेश कुमार (संयोजक)

(ii) श्री कुमार प्रशांत

(iii) डॉ. देव नारायण सिंह

(iv) डॉ. ऋतेश भारद्वाज

(v) लेफ्टिनेंट अनिल कुमार वर्मा

(vi) डॉ. अमित सिंह

(vii) डॉ. रामरूप मीना

27. विद्यार्थी सलाह समिति

(i) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी (संयोजक)

(ii) डॉ. एस.पी. शर्मा

(iii) डॉ. प्रमोद कुमार

(iv) श्री अश्विनी जस्सल

(v) डॉ. स्तुति गुप्ता

28. कैंटीन समिति

(i) डॉ. डी.एन. सिंह (संयोजक)

(ii) श्री कुमार प्रशांत

(iii) डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी

(iv) डॉ. संदीप कुमार यादव

29.डे केयर समिति

(i) डॉ. भारती (संयोजक)

(ii) डॉ. स्तुति गुप्ता

(iii) सुश्री इला भूषण

(iv) डॉ. संदीप कुमार यादव

(v) डॉ. ऋतेश भारद्वाज

30. कौशल विकास समिति

(i) डॉ. आर.एल. गुप्ता (संयोजक)

(ii) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी

(iii) डॉ. मनु उमेश

31. फोटोग्राफी और फिल्म निर्माण समिति

(i) डॉ. मनु उमेश (संयोजक)

(ii) डॉ. अर्चना उपाध्याय

(iii) डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी

(iv) डॉ. संदीप कुमार यादव

(v) डॉ. सुरेश कुमार

(vi) लेफ्टिनेंट अनिल कुमार वर्मा

(vii) डॉ. रीनू गुप्ता

(viii) डॉ. सुनीता सक्सेना

(ix) डॉ. रामरूप मीना

32. वाद-विवाद समिति

(i) डॉ. अनिल कुमार राय (संयोजक)

(ii) डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी

(iii) डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी

(iv) डॉ. कुसुम देवी

वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय के राजपत्रित अवकाशों की सूची

क्र.सं.	अवकाश	दिनांक	1938 शक संवत्	दिन
1.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ 06	बृहस्पतिवार
2.	महाशिवरात्रि	24 फरवरी	फाल्गुन 05	शुक्रवार
3.	होली	13 मार्च	फाल्गुन 22	सोमवार
4.	रामनवमी	4 अप्रैल	चैत्र 14	मंगलवार
5.	महावीर जयंती	9 अप्रैल	चैत्र 19	रविवार
6.	गुड फ्राइडे	14 अप्रैल	चैत्र 24	शुक्रवार
7.	बुद्ध पूर्णिमा	10 मई	बैसाख 20	बुधवार
8.	ईद-उल-फितर	26 जून	आषाढ़ 05	सोमवार
9.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	सावन 24	मंगलवार
10.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	2 सितंबर	भादो 11	शनिवार
11.	दशहरा	30 सितंबर	आश्विन 08	शनिवार
12.	मुहर्रम	1 अक्टूबर	आश्विन 09	शनिवार
13.	महात्मा गांधी जयंती	2 अक्टूबर	आश्विन 10	सोमवार
14.	दिवाली (दीपावली)	19 अक्टूबर	आश्विन 28	बृहस्पतिवार
15.	गुरु नानक जयंती	4 नवंबर	कार्तिक 13	शनिवार
16.	मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगंबर मुहम्मद साहब जयंती)	2 दिसंबर	अगहन 11	शनिवार
17.	क्रिसमस डे	25 दिसंबर	पौष 04	सोमवार

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए लागू शैक्षणिक केलेंडर

सेमेस्टर I/III/V/VII

कक्षा प्रारंभ	**20 जुलाई, 2017 (बृहस्पतिवार)**
मध्य सत्रावकाश	30 सितंबर, 2017 (शनिवार) से 06 अक्टूबर, 2017 (शुक्रवार) तक
मध्य सत्रावकाश के बाद कक्षा प्रारंभ	07 अक्टूबर, 2017 (शनिवार)
कक्षा-विसर्जन, तैयारी की छुट्टी, प्रायोगिक परीक्षाएँ आरंभ	16 नवम्बर, 2017 (बृहस्पतिवार)
सैद्धांतिक परीक्षाओं का आरंभ	30 नवम्बर, 2017 (बृहस्पतिवार)
सर्दियों की छुट्टी	17 दिसम्बर, 2017 (रविवार) से 31 दिसंबर, 2017 (रविवार) तक

सेमेस्टर II/IV/VI/VIII

कक्षा प्रारंभ	**1 जनवरी, 2018 (सोमवार)**
मध्य सत्रावकाश	02 मार्च, 2018 (शुक्रवार) से 07 मार्च, 2018 (बुधवार)
मध्य सत्रावकाश के बाद कक्षा प्रारंभ	08 मार्च, 2018 (बृहस्पतिवार)
कक्षा-विसर्जन, तैयारी के लिए छुट्टी और प्रायोगिक परीक्षाओं का आरंभ	27 अप्रैल, 2018 (शुक्रवार)
सैद्धांतिक परीक्षाओं का आरंभ	09 मई, 2018 (बुधवार)
गर्मियों की छुट्टियाँ	20 मई, 2018 (रविवार) से 19 जुलाई, 2018 (बृहस्पतिवार) तक